न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला (अलवर)

अध्यासित— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दायर दिनांक 28.4.21

निर्णय दिनांक 18.4.22

प्रार्थना पत्र सं0 /21

उनवान

जुबेदा आयु करीब 32 साल पुत्री स्व0 श्री इस्माईल पत्नी अलीमोहम्मद जाति मेव निवासी राका तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल निवासी ग्राम अलावडा तहसील गढ जिला अलवर राज0।

:—प्रार्थीया / अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत बाघोडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला लवर ।

आसिया पत्नी स्व0 श्री इस्माईल

सत्तार पुत्र स्व0 श्री इस्माईल

जुम्मे खां पुत्र स्व0 श्री इस्माईल

हारून पुत्र स्व0 श्री इस्माईल

फजरुदीन पुत्र स्व0 श्री इस्माईल

चतरबी पुत्री स्व0 श्री इस्माईल

जुहरी पुत्री स्व0 श्री इस्माईल जाति मेव निवासी रावका तहसील किशनगढबास जिला लवर राज0।

:—अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध ग्राम पंचायत बाघोडा

उपस्थिति— प्रार्थी की ओर से वकील दिनेश यादव

अप्रार्थी की ओर से वकील लेखराम गुर्जर

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:—

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 15.3.1997 वाके ग्राम रावका तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत बाघोडा द्वारा मृतक इस्माईल के वारिसान की सही जॉच किये बिना शेष रेस्पोडेन्टान से मिली भगत करते हुये बाला—बाला इकतरफा में इन्तकाल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगा0 6 के नाम दर्ज व मंजूर कर दिया । जो इन्तकाल कोलेसिव तरीके से मिली भगत करके रेस्पोडेन्टान के नाम नामान्तकरण स्वीकार करा लिया, जो कि कानूनन गलत था। इस इन्तकाल को निर्णित करते समय अपीलान्टा को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया । ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

ल्कि बाला–बाला इकतरफा में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से कर मृतक इस्माईल की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया तथा उक्त काल में रेस्पोडेन्टान 7 व 8 का नाम भी दर्ज नही किया गया , किन्तु उसके ूद रेस्पोडेन्टान संख्या 7 व 8 ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग रेस्पोडेन्टान 3 6 के हक मे दर्ज कर दिया तथा रेस्पोडान्टा संख्या 2 ने भी अपने हिस्से का हक त्याग क नोटेरी से प्रमाणित दिनांक 24.1997 के आधार पर अपने पुत्रो रेस्पोडेन्टान 3 लगा 6 मे बहिस्से बराबर–बराबर छोडने की बाबत दिया के आधार पर हक त्याक कर उक्त काल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकार कर इन्तकाल दर्ज व मंजूर किया गया है। जो काल अपास्त होने योग्य है।

इन्तकाल संख्या 158 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास में वर्णित आराजी खसरा 204 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा में से 03 बीघा भूमि में से अपीलान्टा का 1/8 हिस्सा व इन्तकाल में वर्णित अन्य आराजी खसरा नम्बरान में अपीलान्टा का अपने मृतक पिता इस्माईल के हक–हिस्से की आराजी में 1/8 हिस्सा बाई बर्थ कायम है । चूंकि उक्त काल जिस समय दर्ज हुआ उस समय अपीलान्टान एक नाबालिग लडकी थी तथा डेन्टान 2 लगा0 8 जो कि समझदार थे, जिनको कानून कायदो के बारे मे जानकारी जिसके कारण वादीगण ने अपीलान्टा के हक–हिस्से की आराजी को हडपने की नियत उक्त इन्तकाल बाला–बाला दर्ज करवा लिया । जिसके कारण उक्त इन्तकाल निरस्त । जाने योग्य है।

सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति अपीलान्टा/प्रार्थीया के हक मे है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश ा कर निवेदन है कि ताफैसला अपील ग्राम पंचायत बाघोडा तह0 शनगढबास के निर्णय दिनांक 15.3.1997 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्टान सं0 2 ा0 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे इलतकाल संख्या 158 वर्णित आराजी खसरा न0 204 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा मे से 3 बीघा व उक्त इन्तकाल वर्णित अन्य आराजीयात स्थित वाके ग्राम रावका तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0 दीगर व्यक्ति को रहन,बय, जिल, हिबा इत्यादि द्वारा किसी प्रकार मदालखत, मजाहमत ा ना करे। नाही अपीलान्टान द्वारा आराजी में बोई वो कुदरती पैदावार को नष्ट ना करे। पीलान्टान को जबरन बेदखल ना करे । मौका व रिकार्ड कि स्थिति यथावत बनाई रखी ावे।

वकील प्रार्थी नें जवाब पेश ना करे सीधे ही बहस करने का निवेदन किया । कील पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को हराते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करे प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा पाबन्द या जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । डेंट सं0 9 ने जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 23.3.2021 के द्वारा आराजी ख0न0 204 रकबा 00 हे0 में 12/19 भाग यानि 0.7578 हे0, नन्दनकुमार सोनी पुत्र छुटटनलाल सोनी से द की थी। जो हाल जमाबंदी में खातेदार है। अपीलांट ने इसको पक्षकरान नही बनाया न राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 9 द्वारा खरीदशुद्वा हिस्से पर भी स्थगन आदेश है। ल पूरें इंतकाल की होती है जबकि प्रार्थी ने ख0न0 204 की अपील न्यायालय हाजा में की है। अप्रार्थी सं0 9 को पक्षकार नही बनाया । जो हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं प्राईमाफैला फिलहाल अप्रार्थीगण के पक्ष में है। लिए हम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.4.2021 को अपास्त किया जाना उचित न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट बाबत आराजी बाबत खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा मे से 3 बीघा वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास जिला नवर सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा का आदेश नांक 28.4.2021 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम कर संलग्न मूलवाद रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)